



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

दूरभाष-0135&2655620, 2658204 फैक्स-0135&2651061

वेबसाइट-www.nagarnigamdehradun.com

ई-मेल: nagar_nigam2008@yahoo.com, nagarnigam.ddn@gmail.com



अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत 47 वार्डों में से अवशेष 09 वार्डों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) एंव क्षेत्र स्तरीय संघ (ALF) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) आमंत्रित की जाती है। आवेदन पत्र राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय नगर निगम से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र तिथि-06/11/2024 को सांय 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट / दस्ती के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त हुये आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। सम्बन्धी शर्तें एंव आवेदन प्रारूप नगर निगम बैवसाइट www.nagarnigamdehradun.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या - 6327/Proj.Cell/DA4-NULM/2024-25

दिनांक - 16/10/2024

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय, को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संपादक, दैनिक समाचार पत्र दिनदृष्टान् / प्रापञ्चिक को अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी एडिशन में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. ✓ श्री-मनीष पंत को उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) को नगर निगम की बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण (टी0ओ0आर0) हेतु शर्तें

- स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत नगर निगम,देहरादून में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ न्यूनतम 06 माह पहले पंजीकृत हो तथा समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा मासिक बचत,मासिक बैठक,दस्तावेजीकरण एंव रख-रखाव, बैंक खाता संचालन एंव आन्तरिक ऋण तथा उनके द्वारा सामाजिक एंव आर्थिक गतिविधियां वर्तमान में संचालित हो।
- स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सक्रियता के साथ से कितने वर्षों से आर्थिक गतिविधियों पर कार्य कर रही ऐसे समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ को प्राथमिकता दी जायेगी है।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सहभागिता की गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया हो, तथा नगर निगम,देहरादून के साथ जन जागरूकतां के अभियान में शामिल हुये हो।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण हेतु नगर निगम,देहरादून द्वारा गठित समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा वार्डों से एकत्रित की गई धनराशि/शुल्क को सप्ताह में तीन दिवसों में सक्षम प्राधिकारी को प्राप्ति रसीदों के पास जमा करना होगा। इस हेतु नगर निगम,देहरादून में पृथक खाता खोला जायेगा।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को वार्ड में प्रेत्यक घर जाकर यूजर चार्ज की बसूली करनी होगी तथा प्रत्येक परिवार को यूजर चार्ज बसूली की रसीद दी जायेगी।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को वार्डों में यूजर चार्ज हेतु जन जागरूकता अभियान चलाकर जन मानस को प्रेरित करना होगा।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को वार्डों से शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण करना आवश्यक होगा।
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को आबंटित वार्डों में यदि कार्य सन्तोष जनक एंव शिकायत मिलने पर समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही कर उनको आबंटित वार्ड अन्य समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ को दिया जायेगा और भेविष्य में नगर निगम में होने वाले गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
- चयनित स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण की गई धनराशि का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नगर निगम,देहरादून द्वारा स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ के खाते में देय होगी।
- प्रत्येक वार्ड उपरोक्त कार्य हेतु एक अथवा अधिक समूह को नगर निगम,द्वारा आबंटित किया जायेगा। आबंटन को देने/निरस्त करने का अधिकार नगर निगम का होगा।
- नगर निगम,देहरादून के अन्तर्गत 38 वार्डों में जिन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वर्तमान में यूजर चार्जेज का कार्य किया जा रहा है। वे समूह इस प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन नहीं कर सकते हैं।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट)

14. डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I) आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव डाक द्वारा या दस्ती जमा भी किये किये जायेंगे।
15. अभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज लिफाफे के उपर “ डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह, अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण एंव अनुश्रवण ” लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / दस्ती द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड – 248001(उत्तराखण्ड) को भेजें।
16. प्रस्ताव डाक द्वारा एंव स्वयं से ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 06.11.2024 सांय 4.00 बजें तक है।
17. डाक व्यवस्था से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
18. किसी भी प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार / अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है।
19. स्वयं सहायता समूह, एंव क्षेत्र स्तरीय संघ से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।
20. डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण प्रस्ताव एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है।
21. आवेदन पत्रों की लघु सूची तैयार की जायेगी। लघु सूची के अनुसार प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा की जायेगी।

मूल्यांकन के मानदंड

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट) में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निमनानुसार किया जाना है:—

क्रमांक	पात्रता मानक	अंक
1.	स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ डॉएन०य०एल०एम० के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून में पंजीकृत	10
2.	तकनीकी क्षमता – स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ न्यूनतम 06 माह पहले पंजीकृत 1. मासिक बैठक — 10 2. समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा मासिक बचत — 05 3. दस्तावेजीकरण एंव रख-रखाव — 05 4. बैक खाता संचालन — 05 5. एंव आन्तरिक ऋण — 05 6. सामाजिक एंव आर्थिक गतिविधियां वर्तमान में संचालित— 10	40

3.	स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सक्रियता के साथ से कितने वर्षों से आर्थिक गतिविधियों पर कार्य कर रही। 1. 05 वर्षों तक गतिविधियां करने वाले समूह— 2. 05 वर्ष से कम की गतिविधियां करने वाले समूह—	20 15 05
4.	नगर निगम, देहरादून के साथ जन जागरूकता सहयोग— 1. निकाय स्तर किये गये कार्यक्रमों में सहयोग— 2. स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान देहरादून में सहभागिता	20 05 15
5.	अभिनव पहल (सामाजिक कार्य, गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य,)	10
कुल		100

नोट:- डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत अकं अनिवार्य होंगे, अथवा गठित समिति द्वारा निर्यण लिया जायेगा।

नगर निगम देहरादून
डोर-टू-लोर चार्ज एकत्रीकरण हेतु अवशेष वार्ड की सूची

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम
1	24	शिवाजी मार्ग
2	38	पण्डितवाडी
3	39	इन्द्रानगर
4	41	इन्द्रापुरम
5	42	कावली
6	71	पटेलनगर पू0
7	75	लेहियानगर
8	13	डी०एल०रोड
9	11	विजय कालोनी



नगर निगम, देहरादून

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
के अन्तर्गत गठित स्वयं राहायता समूहों हेतु डोर-टू-डोर यूजर चार्ज ब्रॉडब्रैड एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण/
पृथकीकरण के अनुश्रवण आवेदन पत्र

1. समूह का नाम—

पासपोर्ट साईज फोटो चरण करें

2. गठन की तिथि—

3. पंजीकरण संख्या—

4. समूह का पता—

5. अध्यक्ष का नाम—मोबाईल न0.....

6. कोषाध्यक्ष का नाम—मोबाईल न0.....

7. स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ गठन दिनांक—मासिक बैठक का विवरण—

8. कार्यवाही रजिस्ट्रर में बैठक का प्रस्ताव-बैठक सं0.....दिनांक—समूह की मासिक बचत.....

9. स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ की कुल बचत—बैंक खाता संचालन—

10. आन्तरिक ऋण का विवरण— दस्तावेजों का रख-रखाव का विवरण—

11. सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों वर्तमान में संचालित—

12. 05 वर्ष तक किये गये कार्य का विवरण—

13. 05 वर्ष से कम किये गये कार्य का विवरण—

14. स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ गठन द्वारा नगर निगम के कार्यक्रमों में सहयोग का विवरण—

15. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सहभागिता का विवरण—

16. स्वयं सहायता समूह का वर्तमान कार्यक्षेत्र—

17. स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण—(गठन तिथि से-वर्तमान तक) फोटो ग्राफ सहित

18. वार्ड न0 जहाँ स्वयं सहायता समूह कार्य करने का इच्छुक है—

(1) प्रथम प्राथमिकता— (2) द्वितीय प्राथमिकता—

नोट:- इमां रात्रि 7 से 15 तक का विवरण स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ को प्रस्तुत करना होगा।

स्थानः—

दिनांकः—

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष
(समूह की मुहर सहित)